

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / 73 / नग्रानि / पीए / 2018

भोपाल, दिनांक 03/05/2018

// कार्यालयीन आदेश //

प्रायः देखा गया है कि कर्मचारियों द्वारा प्रभार से संबंधित नस्तियों का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। नस्तियों के संधारण के संबंध में निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जाये:-

1. कर्मचारियों द्वारा प्रभार से संबंधित समस्त नस्तियों को पंजी में दर्ज कर क्रमांकित किया जाए एवं बिना दर्ज की हुई नस्ती प्रचलन में न ली जावे।
2. स्थानांतरित कर्मचारियों को प्रभार हस्तांतरण के पश्चात ही स्थानांतरित जगह के लिए भारमुक्त किया जावे।
3. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व प्रभार हस्तांतरण की कार्यवाही के पश्चात भारमुक्त किया जावे।
4. कर्मचारियों के प्रभार की नस्तियों की सूची की एक प्रति, शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध रहेगी।

उक्त कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 74 / नग्रानि / पीए / 2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03/05/2018

1. अपर संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त संचालक, बजट/स्थापना/विकास योजना/आई.टी., संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय (समस्त)..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त कर्मचारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
5. नोटिस बोर्ड/बेबोर्ड में अपलोड करने हेतु।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश